अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी :कर्णसिंह गोठवाल, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 16/2015

1. श्री मनदीप सिंह पुत्र जरनैल सिंह उर्फ जैलसिंह जाति ज़टसिख, निवासी दियान तहसील व जिला भठिंडा (पंजाब)
2. छोटो कौर बेवा जरनैल सिह उर्फ जैलस सिह जाति जटसिख, निवासी दियान तहसील व जिला भठिंडा (पंजाब)
3. बलजीत कौर
4. जसविन्द्र कौर
5. चरणजीत सिंह

पिसारान जरनैल सिह उर्फ जैलस सिह जाति जटसिख, निवासी दियान तहसील व जिला भठिंडा (पंजाब)

अपीलांटगण

बनाम

1. श्री तारासिह पुत्र करनैल सिंह जाति जटसिख, निवासी खाराचक (किलांवाली) तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीदार (राजस्व), सादुलशहर

रेस्पोडेंटगण

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 21.04.2005

उपस्थित :

1.श्री मनोहर लाल सहारण, अधिवक्ता अपीलांटगण
2.श्री एम.एल. माहर, अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 1
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट नं 2

दिनांक : 10.08.2015

आदेश

प्रस्तुत अपील के सक्षेंप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि अदालत मातहत ने इंतकाल संख्या 338 में खाता संख्या 8/5.9/6 व 10/11 में अपीलांटा के पिता व पति के नाम के रकबा को काश्तकारों की आपसी सहमति से जोत विभाजन दिखाकर दिनांक 11.04.2005 का तथाकथित आदेश बताकर अपीलांट के पिता के रकबा को रांजस्व रिकॉर्ड से हटाने में कानूनी गलती की है जबकि इस तथाकथित आपसी सहमति में ना तो अपीलांटा के पिता को कभी जानकारी दी गई और ना ही उनसे कोई सहमति प्रदान की गई और ना ही आदलत मातहत में ऐसा कोई दस्तावेज जमा है जिसमे उनकी सहमति दर्शाई गई हो। रेस्पों. ने राजस्व अधिकारियों से कूट रचना कर तथाकथित सहमति विभाजन प्रस्ताव बना कर इंतकाल करने में कानूनी गलती की है, इसलिए मातहत न्यायालय का इंतकाल निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांटा के पिता व पति का 11.01.2015 को स्वर्गवास हो चुका है। स्वर्गवास होने के उपरान्त चक 35 एमएम में श्री जरनैल सिंह के नाम रकबा का विरास्तन दर्ज इंतकाल करवाने के लिए अपीलांट ने दिनांक 10.03.2015 को जब पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो उन्हें पता चला कि चक में तीन खातों में पिता के नाम बहुत थोड़ा रकबा बोल रहा है बाकी रकबा पूर्व में अपने भाईयों का साथ सहमति से विभाजन कर रकबा उनके नाम से दर्ज करवा दिया तथा इस बारे में आपके पिता के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के यहां कार्यवाही कर रखी है। अपीलांट ने सम्बन्धित बाबू से सम्पर्क कर अपने पिता वा चाचों का नाम बतया, तब सम्बन्धित बाबू ने बताया कि करनैल सिंह व उसके पुत्र तारासिंह ने राजस्व अधिकारियों से कूट रचना कर बिना सूचित किये, बिना सहमति के रकबा अपने नाम दर्ज करवा लिया तथाकथित समझौते की कोई पत्रावली तहसील में जमा होना नहीं पाई जाती है। रेस्पोडेंट के खिलाफ 420, 467, 468, 471, 217, 218 आईपीसी के तहत फौजदारी मुकद्दमा भी दर्ज करवाया गया है, जिस पर पुलिस द्वारा जांच में

Scanned by CamScanner

उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव की पत्रावली मांगने पर तहसीदार सादुलशहर द्वारा पत्रावली गुम होने का कथन किया। रेस्पोडेंट द्वारा की गई कार्यवाही की कोई पूर्व में जानकारी नही थी। जानकारी होते ही बिना किसी देरी के सम्बन्धित नकल प्राप्त कर अपील पेश की जा रही है, जो जानकारी से अन्दर मियाद है। अतः अपील अपीलांट मंजूर की जाकर अदालत मातहत का इंतकाल संख्या 338 दिनांक 21.04.2005 निरस्त फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि अदालत मातहत ने इंतकाल संख्या 338 में खाता संख्या 8/5. 9/6 व 10/11 में अपीलांटा के पिता व पति के नाम के रकबा को काश्तकारों की आपसी सहमति से जोत विभाजन दिखाकर दिनांक 11.04.2005 का तथाकथित आदेश बताकर अपीलांट के पिता के रकबा को राजस्व रिकॉर्ड से हटाने में कानूनी गलती की है जबकि इस तथाकथित आपसी सहमति में ना तो अपीलांटा के पिता को कभी जानकारी दी गई और ना ही उनसे कोई सहमति प्रदान की गई और ना ही आदलत मातहत में ऐसा कोई दस्तावेज जमा है जिसमे उनकी सहमति दर्शाई गई हो। रेस्पों. ने राजस्व अधिकारियों से कूट रचना कर तथाकथित सहमति विभाजन प्रस्ताव बना कर इंतकाल करने में कानूनी गलती की है, इसलिए मातहत न्यायालय का इंतकाल निरस्त किये जाने योग्य है। बिना सहमति के रकबा अपने नाम दर्ज करवा लिया तथाकथित समझौते की कोई पत्रावली तहसील में जमा होना नहीं पाई जाती है। रेस्पोडेंट के खिलाफ 420, 467, 468, 471, 217, 218 आईपीसी के तहत फौजदारी मुकद्दमा भी दर्ज करवाया गया है, जिस पर पुलिस द्वारा जांच में उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव की पत्रावली मांगने पर तहसीदार सादुलशहर द्वारा पत्रावली गुम होने का कथन किया। रेस्पोडेंट द्वारा की गई कार्यवाही की कोई पूर्व में जानकारी नही थी। जानकारी होते ही बिना किसी देरी के सम्बन्धित नकल प्राप्त कर अपील पेश की जा रही है, जो जानकारी से अन्दर मियाद है। अतः अपील अपीलांट मंजूर की जाकर अदालत मातहत का इंतकाल संख्या 338 दिनांक 21.04.2005 निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कहा है कि अपील मियाद बाहर है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश 21.04.2005 का है। अपील 06.04.2015 को पेश की गई है जो लगभग 9 वर्ष 10 माह 19 दिन विलम्ब से पेश की गई है। अपीलांट के वकील द्वारा निर्णय की सूचना जिससे प्राप्त हुई है उन कर्मचारियों का कोई भी शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया है। रेस्पोडेंट के विद्वान अभिभाषक ने बताया है कि अपीलांट के पिता द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में धारा 88, 183, 188 आरटीए के तहत जो दावा पेश किया है, उसका निर्णय अभी तक नही हुआ है। दावा अभी जैरकार है। अपील आदेश विभाजन, सहमति के विरूद्ध गलत पेश की है जो चलने योग्य नही है। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील मे जिस एफआईआर का जिक्र किया है मुकद्दमा झूठा पाये जाने पर एफआर लग चुकी है। रेस्पोडेंट के अधिवक्ता द्वारा एफआईआर नं 134 दिनांक 07.05.2015 थाना सादुलशहर की अन्तिम रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा इस सम्बन्ध में अपने कथन की पुष्टि में आरआरडी 2013 पृष्ठ संख्या 788 माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान की छाया प्रति पेश की है। रेस्पोडेंट के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि अपीलांटगण राजस्थान के निवासी न होकर पंजाब के निवासी है। तहसीलदार, सादुलशहर के द्वारा आपसी सहमति बंटवारा के आधार पर इंतकाल दिनांक 21.04.2005 को तस्दीक किया गया है। सहमति बंटवारानामा को आज तक चुनौति नही दी गई है अर्थात सहमति बंटवारा आज भी यथावत कायम है। अतः प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने, मूल आदेश सहमति बंटवारानाम को चुनौति नहीं दिये जाने के कारण अपील खारिज करने योग्य है जो खारिज की जावे।

Scanned by CamScanner

AS
3

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर, राज.)

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अपील मूल आदेश सहमति बंटवारा के नाम 11.04.2015 के विरूद्ध न होकर तहसीलदार, भू.अभिलेख सादुलशर के द्वारा 21.04.2005 को किये गये इंतकाल के विरूद्ध पेश की है जबकि अपीलांटा को मूल आदेश सहमति बंटवारा को चुनौति देते हुए उस आदेश के विरूद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। अपीलांटगण के विद्वाना अभिभाषक द्वारा जिस किसी से भी निर्णय की जानकारी प्राप्त हुई थी, जानकारी की पुष्टि हेतु सम्बन्धित लिपिकों का शपथ पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था, जो उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इंतकाल संख्या 338 दिनांक 21.04.2005 तहसीलदार द्वारा काश्तकारों की आपसी सहमति के आधार पर किया गया है, इसलिए यह मानने योग्य नही है कि अपीलांट या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को सहमति बंटवारे की जानकारी नही थी। जहां तक अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट के विरूद्ध जो एफआईआर, पुलिस थाना, सादुलशहर में दर्ज करवाई गई थी वह भी पुलिस थाना सादुलशहर द्वारा एफआर लगा दी गई है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय आदेश दिनांक 21.04.2005 यथावत रखा जाता है। आदेश की प्रति के साथ प्राप्त मूल रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावे।

आदेश आज दिनांक 10.08.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कर्णसिंह गोठवाल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर।
10/8/15

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned by CamScanner